INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP60800348985066W

e-Stamp

IV

6/2024

[illegible]

Certificate No.	:	IN-UP60800348985066W
Certificate Issued Date	:	10-Feb-2024 01:31 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14568304/ SAHJANWA/ UP-GKH [illegible]
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14568304176580831327970W
Purchased by	:	KRISHNA MURARI TIWARI S O RAJMANGAL TIWARI
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	KRISHNA MURARI TIWARI S O RAJMANGAL TIWARI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	KRISHNA MURARI TIWARI S O RAJMANGAL TIWARI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

10

Please write or type below this line

न्यास पत्र

10

हम कि **कृष्ण मुरारी तिवारी पुत्र राजमंगल तिवारी निवासी– ग्राम– डोहरिया कलां, पोस्ट–मिनवां, सहजनवां, गोरखपुर उत्तर प्रदेश** की हूँ। हम समाज के आर्थिक, समाजिक एवं शैक्षिक सांस्कृतिक विकास हेतु निरंतर कार्य करता है तथा हम मुकिरा के मन–मस्तिष्क में अपना व्यक्तिगत कार्यो के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज के सुख–शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्वास, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधन नही व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वस्थ्य व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास मे परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिक तालमेल बनाए रखने एवं समाज को शिक्षित करने

Krishna Tiwari 10

0021018429

लिंग भेद, जाति–पाति, छुआछूत धर्म और सम्प्रदाय, ऊंच–नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। मेधावी व प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को अपने देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाय। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिरा द्वारा एक कल्यानकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिरा द्वारा अपनी उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत रू0 11000/- इग्यारह हजार रुपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष मे विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की मैं व्यवस्था करता रहूँगा।
इससे पूर्व एक न्यास पत्र दिनांक 23.12.2023 को कराया गया है जो बही संख्या 4 जिल्द संख्या 27 के पृष्ठ 381 से 404 तक कमांक 77 पर दर्ज है जिसके साथ इस न्यास पत्र को भी पढ़ा जाएगा ।
हम मुकिर अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास का प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रहा हूँ जिसकी व्यवस्था निम्नरूपेण की जाएगी:–

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास/संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम " **श्री पारसनाथ मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट**" होगा जिसे इस न्यास पत्र में आगे "**न्यास**" अथवा "**ट्रस्ट**" शब्द सम्बोधिवत किया गया है।

2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का रजिस्टर्ड कार्यालय **डोहरिया कलां, पोस्ट–मिनवां, तहसील–सहजनवां, गोरखपुर उत्तर प्रदेश** स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जाएगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट के द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा। आवश्यकता पडने पर भारत के बाहर विदेशों में भी विधि पूर्ण कार्यो का संचालन किया जा सकेगा।

3. यह कि हम मुकिर ट्रस्ट मजकूर के संसथापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबंधक कृष्ण मुरारी तिवारी पुत्र राजमंगल तिवारी निवासी डोहरिया कलां, तहसील सहजनवां, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का होगा। हम मुकिरा इस ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसारर ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के रूप में कार्य करने को सहमत है को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित

Krishna Tiwari

करता हूँ। इसप्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा। भविष्य में में हम मुकिरा द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अनय ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टी तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहां जाएगा।

ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है:–

1. **श्री कृष्ण मुरारी तिवारी** पत्र राजंगज तिवारी निवासी– ग्राम– डोहरिया कलां, पोस्ट– मिनवां, तहसील–सहजनवां, गोरखपुर उत्तर प्रदेश

2. **ट्रस्टी– दिव्या राय** पत्नी कृष्ण मुरारी तिवारी निवासिनी ग्राम– डोहरिया कलां, पोस्ट– मिनवां, तहसील–सहजनवां, गोरखपुर उत्तर प्रदेश

3. **लोकेश पांडेय पुत्र अखिलेश कुमार पांडेय** निवासी ग्राम– डोहरिया कलां, पोस्ट– मिनवां, तहसील–सहजनवां, गोरखपुर उत्तर प्रदेश

4. **रामेन्द्र त्रिपाठी पुत्र श्री हरि गोविन्द त्रिपाठी** निवासी ग्राम– नेवास, पोस्ट– नेवास, तहसील–सहजनवां, गोरखपुर उत्तर प्रदेश

5. कानूनी सहलाकार अधिवक्ता–

   विजय नारायण त्रिपाठी निवासी ग्राम–नारंगपट्टी, पोस्ट–लखनापार, तहसील–सहजनवां, जनपद–गोरखपुर।

4. यह कि हम मुकिर– " **श्री पारसनाथ मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट** " के नाम से जिस **ट्रस्ट/संस्थान/चैरिटेबल टस्ट** की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:–

1. युवाओं एवं युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे –सिलाई–कढ़ाई, बुनाई पेंटिं स्क्रीनिंग पेंन्टिंग सिखाना।

2. समाज के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।

3. शिक्षा एवं जीवन उपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना और आम जनता के चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभा संपन्न मेधावी छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलबध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।

Krishna Tiwari

4. नवयुवक युवा छात्र–छात्राओं को रचनात्म ; दिशा देने एवं उनके स्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, आठटीआई, विकलांग महाविद्यालयों व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं उन्नयन के क्षेत्र में सामान्य शिक्षा , तकनीकी गैर तकनीकी शिक्षा विधि शिक्षा, शिक्षा प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना तथा स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए आमदनी केस्रोत हेतु विद्यालय कंपाउंड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

5. वर्तमान समय में विज्ञान के जनजीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासु प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

6. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाईचारा सांप्रदायिक तालमेल राष्ट्रभक्ति राष्ट्रीय एकता, सरकारी संपत्ति के प्रति प्रेम राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा प्रकृति के प्रति प्रेम राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथरा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवको तथामहिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।

7. लिंग भेद, जाती पाती, छुआछूत धर्म और संप्रदाय, ऊंच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण लिटरेचर आदि की व्यवस्था करना।

8. शैक्षणिक क्षेत्र मे विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पीसीएस., आईए.एस. में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।

9. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गो के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रबंध करना।

10. युवाओं एवं युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे सिलाई–कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, स्क्रीनिंग, पेंटिंग इलेक्ट्रानिंक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियों एवं टीवी ट्रेनिंग, टाइपिंग / शार्ट हैण्ड, कंप्यूटर फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण , कुकिंग, बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण डाइटिंग प्रशिक्षण आदि केंद्रो की स्थापना व्यवस्था तथा प्रबंध करना। आवश्यकता अनुसार उसके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय अध्ययन कक्ष, छात्रावास , भोजन वस्त्र व दवा को उपलब्ध कराना।

11. खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

Krishna Tiwari

12. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोगी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग कला निबंध, व्याख्यान तथा खेलकूद आदि का आयोजन प्रतियोगिता तथा विजई प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी ट्रस्ट का उद्देश्य है।

13. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे–गूंगे, बहरे अंधे, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों युवाओं तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग गरीब बच्चों, निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि।

14. वृद्धों के लिए विश्राम केंद अथवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना जिसमें मनोरंजन पढ़ने लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो।

15. महिला संरक्षण, गृह विधवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना।

16. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकता अनुसार परामर्श केन्द्र, बारातघर, धर्मशाला पुस्तकालय खेल का मैदान, योग प्रशिक्षण केंद्र, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबंध करना।

17. सरकारी, अर्द्ध सरकारी, प्राइवेट की खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधे को बडे पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण औषधियों एवं जड़ी बुटियों वाले पौधे का उत्पादन तथा आर्थिक महत्व वाले पोधे का रोपण करना।

18. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे संबधित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना।

19. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील राज्यों के लोगों मे राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

20. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिक सुविधा के साथ प्रशिक्षणहाल की स्थापना करना जिसमे विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण संपादित हो सके तथा नेहरू युवा समाज कल्याण एवं स्थास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

21. घरेलू ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन के युवाओं को प्रेरित जागरूक प्रशिक्षित एवं साधन संपन्न करना।

22. बीड़ी, सिगरेट, तबाकू, पान मसाला, गांजा, भांग,स्मैक, एलसीडी या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों को उनसे होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क कराना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निःशुल्क चिकितसालय की व्यवस्था करना।

Krishna Tiwari

23. समाज के व्याप्त बुराईयों जैसे अंधविश्वास, बाल विवाह,, दहेज प्रथा, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंगभेद, अस्पृश्यता की भावना को दूर करना।

24. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना तथा विभिन्न त्योहारों एवं कार्यक्रमों में होने वाले भोजन तथा धन के व्यय की रोकथाम करना।

25. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे योग जिमनास्टिक, जूडो, कराटे, कबड्डी, तथा अन्य शहरी एवं प्रारंपरिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना।

26. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता प्रशिक्षण, दवा किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा तथा रोज इंगत विश्वास एवं अंधविश्वासी धर्म के स्थान पर लोक कल्याणकारी धर्म की शिक्षा देते हुए शिविर की स्थापना कराना साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श केंद की स्थापना कराना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।

27. एड्स, कैंसर, टीवी, फोड़ा, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस जल जनित इंसेफलाइटिस जैसे रोगों की जानकारी रोकथाम नियंत्रण जागरूकता उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जनसमान्य के लाभ हेतु डेंटल कालेज, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय पैरामेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केंदो, चिकितसालय नर्सिंग होम की स्थापना करना।

28. सरकार की सहायता से गांवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, खड़ंजा, बीच पार्क शिविर एवं भोजन निर्माण की व्यवस्था करना, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

29. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नए–नए वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करना तथा नए–नए शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे संबधित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिए आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित जागरूक एवं प्रशिक्षित करना, तिलहन, दलहन तथा बागवानी के विकास हेतु नए वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार–प्रसार करना तथा स्थाई कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषको को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

30. वर्मी कंपोस्ट एवं साग सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाली हानि से लोगों को अवगत कराना।

31. बंजर एवं उसर भूमि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वातावरणीय संरक्षण जल एवं अन्य प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को विकसित करने के लिए योजनाओं को लागू करना।

32. प्राकृतिक आपदा जैसे हैजा, प्लेग, भूखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकंप, दुर्घटना की दशा मे प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा इसके लिए लोगों , संस्था तथा कंपनियों आदि से आर्थिक सहयोग ,व शासन प्रशासन का सहयोग प्राप्त करना।

Krishna Tiwari

33. तत्काल सुविधा पहंचाने हेतु सड़क, ट्रेन बस, दुर्घटना, जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमारी असहाय वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मोबाइल इमरजेंसी, एंबुलेंस वैन की व्यवस्था करना।

34. पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी एवं अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए कौन सी लिंग केंद्रो की स्थापना एवं प्रबंध करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता की जा सके गरीब लोगों व महिलाओं के कानूनी सामाजिक आर्थिक क्रियार चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।

35. न्यास के उददेश्य की प्राप्ति के लिए इसके साथ आय व इसके क्रियाकलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला व प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

36. सरकारी अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंको से संस्था के उददेश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

5. <u>ट्रस्ट मंडल के अधिकार एवं कर्तव्यः–</u>

1. समान उददेश्य की अनय संस्थाओं ट्रस्टों से सहयोग एवं संपर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केंद सरकार से सहायता प्राप्त करना।

2. ट्रस्ट के उददेश्य की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाईयों को सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।

3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं एवं समितियों के सुचारू संचालन हेतु समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली एवं उप नियमों को बनाना।

4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क दान चंदा इत्यादित प्राप्त करना तथा इनकी प्रबन्ध इकाई गठित करना।

5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों में शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।

6. ट्रस्ट की संपत्ति की देखभाल करना तथा ट्रस्ट की संपत्ति को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की संपत्ति को नियमानुसार हस्तांतरित करना व अनय प्रकार उसकी व्यवस्था करना।

7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं को गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बाबत गठित समिति को भंग कर उसकी संपूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।

Krishna Tiwari

8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संसथाओं विद्यालयों शिक्षण केंद्रों, चिकित्सालयों शोध केंद्रो गौशालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और नियुक्त कर्मचारियों लिए आचरण व व्यवहार नियमावली तैयार कर उनके हित में अन्य कार्य को करना।

9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी विभागों से दान, उपहान, अनुदान रेट व अन्य स्रोतों से धन व संपत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

10. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट मंडल द्वारा संकल्पित कार्यो को करना।

11. ट्रस्ट से संबंधित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण, आयकर अधिनियम के अंतर्गत करना तथा उक्त अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना।

12. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक तकनीकी, गैर तकनीकी विद्यालयों एवं डीम्ड युनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की मान्यता व संबधता के संबंध में संबधित प्राधिकारी नियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।

6– **ट्रस्ट की प्रबंध व्यवस्था :–**

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन।

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जाएगा–

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं मुख्य होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवन काल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा मुख्य ट्रस्टी को वसीयत के माध्यम से भी ट्रस्ट के अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति बीमारी या कार्य करने की और अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्यट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारू प्रबंध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किए गए ट्रस्टियों का कार्य अधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मंडल द्वारा अपने में से बहुगत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही संपन्न की जाएगी यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा नही किया जाना संभव नही हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्यट्रस्टी की देखरेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन संपन्न किए जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्ट के लिए मानें एवं अंतिम होगा।

Krishna Tiwari

4. ट्रस्टमंडल के किसी भी ट्रस्टी के त्यागपत्र देने अथवा मृत्यु होन पर उनका स्थान रिक्त हो जाएगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्यट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जाएगी।

5. ट्रस्ट मंडल के किसी सदस्य को उनके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मंडल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जाएगा ओर उनके स्थान पर पूर्व में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हित ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टी के रूप में समायोजित कर लिया जाएगा यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नही किया जाता है तो ट्रस्ट मंडल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. ट्रस्ट द्वारा संचालीत शैक्षिक संस्था इंस्टीट्यूट के प्राचार्य शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधित संबंधित शैक्षिक संस्था इंस्टीट्यूट की नियामक संस्था अथवा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार के प्रबंध व्यवस्था के नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराए गए प्रशासन योजना के अनुसार संबधित शैक्षिक संस्था व इंस्टीट्यूट के प्रबंध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमा–नुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. ट्रस्ट मंडल का कोई भी ट्रस्टी इन किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो ट्रस्ट का इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा बल्कि संबंधित ट्रस्ट के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

8. ट्रस्ट के कार्यो के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मंडल द्वारा भेजे गए किसी प्रतिनिधि के द्वारा किए गए खर्चे व उसके सम्बंध में प्रस्तुत व्यय राशि से संबधित बिलों व बाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशनः–

1. ट्रस्ट मंडल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं समितियिों के प्रबंध सचिव, प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्यट्रस्टी द्वारा दी जाएगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगां वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की अयोग्यता को समझी जाएगी कोई भी व्यक्ति मुख्यट्रस्टी के पूर्व अनुमति से वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया–कलापों पर विचार होगा और व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जाएगा, विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस मंडल का फैसला अन्तिम होगा।

Krishna Tiwari

7. <u>मुख्य ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य :–</u>

1. इस ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के प्रबंधक को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारों व प्रबन्धक द्वारा किए गए कार्य को मुख्य ट्रस्टी द्वारा माना जाएगा।

2. ट्रस्ट से संबधित प्रत्येक प्रकार के धन को प्राप्त करके उसके रसीद लेना।

3. ट्रस्ट के समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना व कराना।

4. ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्टीगण को देना।

5. ट्रस्ट की चल अचल संपत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय–व्यय का हिसाब किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मंडल के समक्ष रखना।

6. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चली अचल संपत्ति के हंस्तांतरण व प्राप्ति से संबंधित अभिलेखों को हस्ताक्षरित करना।

7. ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरबी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।

8. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्रा^ तअन्य अधिकारों सहित मुख्य प्रबंधक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यो को करना।

9. ट्रस्ट की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।

10. ट्रस्ट की आय व्यय की रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मंडल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा परीक्षण करना।

11. ट्रस्ट के बिल संबंधी लेखों की सुचारू रूप से रख–रखाव करना।

8. <u>ट्रस्ट कोष की व्यवस्थाः–</u>

ट्रस्ट के कोर्स के सुचारू रखरखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोला जाएगा जिसमें ट्रस्ट के प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार की धनराशि एवं रीडर राशियों निहित होगी ट्रस्ट के नाम खोले गए खाते का संचालन मुख्यट्रस्टी द्वारा अकेल अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा।

9. <u>ट्रस्ट के अभिलेखः–</u>

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर संपत्ति रजिस्टर व अन्य लेखों का रजिस्टर इत्यादि रखा जाएगा।

Krishna Tiwari

10. <u>ट्रस्ट के संपत्ति की व्यवस्थाः–</u>

ट्रस्ट की संपत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जाएगी।

1. ट्रस्ट मंडल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, संस्थाओं व बैंको से दान सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस संबंध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी जैसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे। मुख्य ट्रस्टी के हित में बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु ट्रस्ट की संपत्ति को बंधक रख सकेगा।

2. मुख्य ट्रस्टी की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन कार्य कर सकेंगे या किसी चल या अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की सम्पत्ति या संपत्तियों को किराया पर दे सकेगा या बेच सकेगा।

3. ट्रस्ट की संपत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरूपयोग करने वाले को दंडित करने का अधिकार ट्रस्ट मंडल को प्राप्त होगा।

4. ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गई कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मंडल द्वारा सुनी जाएगी।

5. ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संसथा वह विद्यालय प्रबंधकी विवाद उत्पन्न होने पर उसके संबंध में ट्रस्ट मंडल का निर्णय अंतिम व मान्य होगा परंतु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नही हो सका तो विवाद के लंबित रहने के दौरान संबधित संस्था या विद्यालय का प्रबंधन उसकी संपत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।

6. ट्रस्ट द्वारा, ट्रस्ट के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जाएगा इसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जाएगी।

7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तो एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मंडल के अधीन होगा ट्रस्ट मंडल बहुमत से स्वयं उन कार्यो को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मंडल अपने संपत्ति के प्रबंध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

8. ट्रस्ट मंडल ट्रस्ट के लिए यह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिए आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

9. ट्रस्ट के प्रत्येक प्रकार की संपत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही उपयोग की जाएगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी संपत्ति अर्जित की जाएगी उसके बावत व शर्ते लागू होगी।

Krishna Tiwari

घोषणा

" **श्री पारसनाथ मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट**" कृष्ण मुरारी तिवारी निवासी – ग्राम–डोहरिया कलां, पोस्ट–मिनवां, तहसील–सहजनवां, जिला–गोरखपुर उत्तर प्रदेश मुख्य न्यासी के रूप में यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर पढ़कर व समझकर स्वस्थ मन व चित्त से बिनाकिसी बाहरी दबाव के सोच समझकर इस न्यास पत्र को निबधन हेतु प्रस्तुत किया है जिससे कि इस न्यास का विधिवत गठन हो सके। इस न्यास पत्र में कोई चल व अचल सम्पत्ति निहित नहीं है। इस न्यास में सिर्फ ₹11000/- ग्यारह हजार रुपये निहित है।

हस्ताक्षर साक्षीगण

1- विश्वनाथ प्रताप त्रिपाठी S/O स्व० विन्ध्याचल त्रिपाठी ग्राम नारायणपुर पो० [illegible] जि० गोरखपुर

2- दिनेश गुप्ता S/O जवाहर लाल गुप्ता ग्राम व पोस्ट बरडीहा जिला- गोरखपुर

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

Krishna Tiwari

प्रारूप तैयारकर्ता
उद्धेश कुमार एडवोकेट
तहसील- मुख्यालय
सहजनवां, गोरखपुर
दि० 13.02.2024

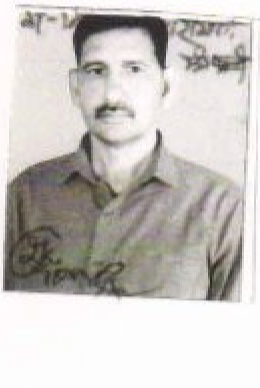

आवेदन सं०: 202400949000920

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 30 के पृष्ठ 273 से 296 तक क्रमांक 6 पर दिनाँक 14/02/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कमलेश प्रकाश श्रीवास्तव प्रभारी
उप निबंधक : सहजनवा
गोरखपुर
14/02/2024